

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक :- प.25(5)आयु./2020 पार्ट

जयपुर, दिनांक :- 07.04.2020

आदेश

राजस्थान राज्य में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत समस्त आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्साधिकारी तथा नर्स -कम्पाउण्डर की सेवाएं अग्रिम आदेशों तक, तत्काल प्रभाव से चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार को एतद्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,
एस.डी.
(गायत्री राठौड़)
शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति1 / हो.चिकि./ कार्यव्यवस्थार्थ / 2020 / 2587-2602

दिनांक :- 07.04.2020

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.25(5)आयु./2020 पार्ट दिनांक 07.04.2020 के क्रम में।
7. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक प.25(5)आयु./2020 पार्ट दिनांक 07.04.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
11. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य भवन जयपुर को दी जाकर निवेदन है कि इस विभागान्तर्गत कार्यरत होम्योपैथी चिकित्साधिकारी तथा नर्स-कम्पाउण्डर के पदस्थापन की सूचना जिलेवार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. विभागान्तर्गत कार्यरत/पदस्थापित समस्त होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/नर्स-कम्पाउण्डर, राजकीय होम्योपैथिक औषधालय/चिकित्सालय/पी.एच.सी./सी.एच.सी./मोबाईल यूनिट को पालनार्थ।
14. डॉ. संतोष नाथ (नोडल अधिकारी) को दी जाकर लेख है कि विभागीय वैबसाइट पर आज ही अपलोड करावें एवं समस्त संबन्धित को ई-मेल द्वारा भिजवाये।
15. प्रभारी, कार्यालय लेखा शाखा/विधि शाखा/आवक-जावक शाखा/प्रतिष्ठापन शाखा-II/स्टोर शाखा/कैश शाखा/सामान्य शाखा।
16. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक